बैंकिंग व्यवसाय में जोखिम प्रबन्धन की उपादेयता एवं लाभ

*डॉ. विकास बैराठी

वर्ष 1991 से प्रारम्भ हुए उदारीकरण एवं वैश्वीकरण नीति के परिणामस्वरूप भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में परिवर्तन का दौर प्रारम्भ हुआ। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ वित्तीय ढांचे का होना उस देश की प्रगति की ओर इंगित करता है तथा बैंकिंग क्षेत्र समस्त अर्थव्यवस्था के विकास व सुदृढ़ता का मार्ग प्रशस्त करने में अग्रणी भूमिका निभाता है अतः यह आवश्यक हो जाता है कि देश में सुदृढ़ बैंकिंग–क्षेत्र की स्थापना हो।

उदारीकरण के पश्चात् बैंकों को नये उत्पादों तथा सेवाओं को प्रारम्भ करने का अवसर प्राप्त हुआ जिसके परिणामस्वरूप बैंकों की व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि के साथ ही आय में वृद्धि का भी सुअवसर प्राप्त हुआ किन्तु साथ ही बैंकों के समक्ष नवीन जोखिमों का भी प्रादुर्भाव हुआ। यह सत्य है कि जहाँ वित्त है, वहाँ जोखिम भी है तथा बैंकिंग संस्थाओं का कार्य पूर्ण रूप से वित्त से ही जुड़ा है अतः जोखिम रहित व्यापार की कल्पना करना पूर्णतः अनुचित होगा।

एक बैंकिंग संस्था की लाभदायकता, उसके पोर्टफोलियों तथा गतिविधियों में उपस्थित जोखिम–त्तव से सीधी जुड़ी होती है। यद्यपि भावी जोखिमों को पहचान कर उन्हें अंशतः समाप्त अथवा कम अवश्य किया जा सकता है किन्तु उन्हें पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि आर्थिक वातावरण में अनेकों ऐसे कारक हैं जिनकी पूर्व में ही कल्पना कर लेना असंभव होता है। इस हेतु समस्त बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान एक जोखिम–प्रबन्धन तंत्र की स्थापना कर स्वयं को भावी अनदेखी जोखिमों एवं अनिश्चित्ताओं से बचाने हेतु प्रयास करते रहते हैं जिसे हम "जोखिम–प्रबन्धन" कहते है।

"जोखिम–प्रबन्धन" वह प्रक्रिया है जिसमें संस्था अपनी वित्तीय गतिविधियों से जुड़ी जोखिमों को पहचानने, उसके प्रभाव एवं गहनता के आकंलन के साथ ही उन्हें नियन्त्रित करने हेतु कार्यविधियों का निर्माण करने से है। अतः यह कहा जा सकता है कि किसी भी बैंकिंग संस्था की सफलता काफी हद तक संस्था के श्रेष्ठ "जोखिम प्रबन्धन" पर निर्भर रहती है तथा संस्था के वर्तमान एवं भावी विकास का आध ाार बनती है।

सामान्यतः बैंकिंग संस्थाओं को निम्नलिखित 5 जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जिनका कुशल प्रबंधन ही बैंकिंग संस्था ही सफलता का आधार बनता है।

1. ऋण जोखिम (Credit Risk) ऋण सम्बन्धी जोखिमों का मूल कारण ऋणी द्वारा समय पर मूलधन व ब्याज का भुगतान स्वीकार्य शर्तों के अनुसार समय पर पूरा न कर पाने से उत्पन्न होती है। चूंकि बैंकिंग संस्थाओं का मूल कार्य ही ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराना है अतः ऋण जोखिमों का उचित प्रबन्धन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है। बैंकिंग संस्थाओं को ऋण–जोखिमों को न्यूनतम अथवा सहय्य स्तर पर बनाये रखने के लिए कुछ कार्य करने चाहिए, जो इस प्रकार से है :–

(i) ग्राहक की वित्तीय स्थिति का आकलन तथा उसके पूर्व वित्तीय–विवरणों का गहन अवलोकन/विश्लेषण करना

(ii) ग्राहक की साख एवं कार्यकुशलता के स्तर का आकलन

(iii) संस्था के प्रबंधन, उनके वित्तीय–व्यवहारों का आकलन

(iv) बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गये ऋणों की आवधिक समीक्षा हेतु नियंत्रण/निगरानी तंत्र की स्थापना

(v) ऋणों की सुदृढ़ स्थिति सुनिश्चित करने तथा उनके डूब जाने से रोकने हेतु जोखिम आकलन के परिष्कृत विश्लेषणात्मक साधनों के लिए एक सुनिश्चित प्रणाली का विकास करना

निश्चय की उपर्युक्त वर्णित प्रयास बैंकिंग संस्था की ऋण जोखिमों को न्यून करने में सहायक हो सकते है।

2. तरलता जोखिम (Liquidity Risk) : तरलता जोखिमें, बैंक की आस्तियों (Assets) तथा देयताओं (Liabilitiesaa) में असंतुलन के कारण उत्पन्न होती है। तरलता–जोखिम प्रबन्धन के अन्तर्गत बैंक द्वारा अपनी समस्त देयताओं को समय पर भुगतान करना तथा निवेश के अवसरों में धन उपलब्ध कराना महत्वूपर्ण कार्य माना जा सकता है। इस हेतु बैंक निम्न कार्य कर सकता है :

(i) बैंक की तरलता स्थिति पर सूक्ष्म नजर रखना तथा भावी असंतुलन हेतु तरलता की व्यवस्था पूर्व में कर लेना

(ii) बैंक द्वारा प्रतिमाह एवं प्रत्येक तिमाही में प्राप्त की गई जमाओं तथा इसी दौरान किये जाने वाले भुगतानों की समीक्षा कर सन्तुलन/असन्तुलन के वित्तीय आंकड़े तैयार करना

(iii) तरलता प्राप्ति हेतु, केन्द्रीय बैंक तथा अन्य बैंकों से पूर्व में ही आश्वासन प्राप्त करना तथा पुनर्वित–व्यवस्था करना

(iv) उच्च तरलता युक्त प्रतिभूतियों में निवेश करना ताकि आवश्यकता होने पर इन्हें बेच कर तुरन्त तरलता प्राप्त की जा सकें।

3. बाजार जोखिम (Market Risk) : बाजार जोखिम, वर्तमान तथा भावी आय तथा अंशधारकों के अंशों पर पड़ने वाले प्रतिकूल ब्याज–दरों तथा कीमतों के कारण उत्पन्न होती है। मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा–विनिमय दरों में और उत्पाद कीमतों के घटने–बढ़ने के कारण लाभप्रदता या परिसम्पत्ति का आर्थिक मूल्य प्रभावित होता है जो अनिश्चित्ता का वातावरण निर्मित करता है। इस संदर्भ में बैंक निम्न कार्य सकता है :–

*व्याख्याता आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्ध विभाग, एस.एस. जैन सुबोध पी.जी. महाविद्यालय, जयपुर

(i) वृहद् आर्थिक कारकों का विश्लेषण कर भावी स्थितियों का पूर्व आकलन के आधार पर अपने निवेश तथा गतिविधियों को संचालित करना।

(ii) सांख्यिकीय व गैर–सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग कर बैंक अपनी जोखिम–वहन क्षमता का आकलन कर भावी उतार–चढ़ाव के अनुरूप अपनी क्षमता की तुलना कर भावी रणनीति तैयार कर सकता है।

(iii) व्यापारिक रणनीति विशेषज्ञों, कुशल–प्रबन्धकों तथा वित्तीय के अनुभवी व्यक्तियों से समय–समय पर परामर्श कर अपनी नीतियाँ निर्धारित करना।

4. परिचालन–जोखिम (Operational Risk) : बासेल समिति के अनुसार, "अपर्याप्त अथवा विफल आंतरिक क्रिया–कलापों, व्यक्तियों तथा प्रणालियों अथवा बाह्य गतिविधियों/स्थितियों के कारण उत्पन्न हानि की जोखिम ही परिचालन जोखिमें है।" ये जोखिमें व्यापारिक–व्यवधानों, परिचालनात्मक प्रक्रियाओं की विफलताओं, अपर्याप्त सूचना–तंत्र, आन्तरिक नियन्त्रणीय विफलताओं यथा धोखाधड़ी, चोरी या अवांछनीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न होती है। इस हेतु बैंक निम्न उपायों द्वारा इन जोखिमों में बच सकता है :–

(i) बैंक द्वारा अपनी परिचालनात्मक नीतियों का स्पष्ट निर्माण कर उन पूर्ण नियन्त्रण रखना

(ii) उन्नत तथा सुरक्षित सॉफ्टवेयर का प्रयोग बढ़ाना

(iii) आंतरिक नियन्त्रण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना

(iv) कार्मिक प्रशिक्षण तथा समस्त वित्तीय गतिविधियों के संकलन हेतु एक केन्द्रीय संग्रहण समंक स्थल का निर्माण करना।

5. कानूनी/विधिक जोखिम (Legal Risk) : विधि द्वारा आदेशित निर्णयों, संविदाओं, कानूनों के परिणामस्वरूप बैंकिंग संस्थाओं के परिचालन, लाभदायकता, विलयन तथा अवसायन एवं समस्त स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र एक अत्यधिक नियामक वातावरण में कार्य करता है तथा अपनी प्रत्येक गतिविधि के लिए उसका न्यायसंगत व उचित होना विधिक दृष्टिकोण से आवश्यक होता है। इन जोखिमों से बैंक अपनी समस्त गतिविधियों चाहें वे जमाओं से संबंधित हों या ऋणों से संबंधित हों, सम्पूर्ण विवरण समस्त सम्बन्धित पक्षकारों को उपलब्ध करायें ताकि परिचालनागत व सूचना–प्रतिवेदन प्रक्रियाओं का खुलासा सभी पक्षकारों को उपलब्ध हों व किसी प्रकार की कानूनी बाध्यताएँ/समस्याएँ बैंक के समक्ष भविष्य में उपस्थित न हो सकें।

निष्कर्ष

उपरोक्त वर्णित जोखिमों के वर्णन के पश्चात् यह स्पष्ट है कि बैंकिंग संस्थाओं को अनेक प्रकार की जोखिमों का सामना करना पड़ता है तथा यदि इन जोखिमों का प्रबंधन उचित रूप से किया जाए तो बैंक अपनी लाभदायकता तथा व्यापार के स्तर को उन्नत बनाते हुए समस्त अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। अतः जोखिम प्रबन्धन के अन्तर्गत बैंक द्वारा जोखिमों को पता लगाने, इन जोखिमों का मापन करने, जोखिमों का मूल्य–निर्धारण, जोखिमों का अनुप्रवर्तन और नियन्त्रण करते हुए अपनी समस्त व्यावसायिक जोखिमों को कम करते हुए अपने व्यवसाय को उन्नति के शिखर पर ले जाया जा सकता है जो निश्चय ही सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने वाला हो सकता है। वर्तमान प्रतिस्पर्द्धा के वातावरण में समग्र कार्यकुशलता ही संस्था के विकास को सुनिश्चित करती है तथा बैंकिंग संस्थाओं में जोखिम–प्रबन्धन का कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जा सकता है। अतः बैंक प्रबन्धन को जोखिम प्रबन्धन के कार्य को गहनता व सूक्ष्मता के साथ संपादित करना चाहिए।

सन्दर्भ

1. MacDonald S. Scott, Koch Timothy W. (2007), Management of Banking, Cengage Learning India Pvt. Ltd., New Delhi.
2. Seethapathi, K., (ed.). (2002), Risk Management in Banks, ICFAI presaas, Hyderbad.
3. Sinha N.K., Money Banking & Finance (2004), BSC Publishing Co. Pvt. Ltd., Delhi.
4. Kothari Rajesaah, Dutta Bobby (2007), Contemporary Financial Management, Macmillan India Ltd., Delhi.
5. CAIIB, (2005), General Bank Management, Macmillan India Ltd., Delhi.
6. सीएआईआईबी, जोखिम प्रबन्धन (2005), टैक्समेंन पब्लिकेशन्स (प्रा.) लि., नई दिल्ली।
7. Civil Servicesaa Timesaa (2006), New Delhi.

Websitesaa www.rbi.org.in www.idrbt.com www.iba.org.in www.wikipedia.com www.sebi.gov.in.